फा.सं.9-2/2016-एफईएस-ई.एस.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 02 अगस्त, 2016

श्री राजवीर सिंह
ग्राम - राटौर, पोस्ट - कवाल,
तहसील - जानसठ, जिला - मुज्ज्फरनगर,
उत्तर प्रदेश - 251314

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दिनांक 28.06.2016 के पत्र का अवलोकन करें। कृषि फसलों पर 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य के संबंध में उल्लेखनीय है प्रो० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारित औसत उत्पादन लागत की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा की गई सिफारिश इस कारण से सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी क्योकि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा सिफारिश किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य भिन्न-भिन्न संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर उद्देश्य युक्त मानदंड पर आधारित होता है। अतः लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि को निर्धारित करने से बाजार में विकृति हो सकती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के अनुरूप है। उत्पादकों के पास यह विकल्प है कि वे अपने उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेन्सियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद है, को बेचें।

(पुनीत कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि:

सहायक निदेशक एवं सीएपीआईओ, सीपीआईओ, कमरा सं-539, आरटीआई एकक, सीसी प्रभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।